



email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स-0135-2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 195 / 12-1(2) दिनांक, मुनिकीरेती 01/8 /2018,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग कि०मी० 2 व घनसाली-कोटी-अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 को जोड़ने हेतु अर्द्धांगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/14661/2015)

सन्दर्भ:- रीजिनल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांक-08-03-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

S.No	Short Comming	Clarification/Answer
1	State Govt. may upload muck disposal area, road and bridge area in component wise breakup at para B 2.3 in part-I	पैरा-बी० 2.3 भाग-1 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित कर अंकित कर दिया गया है।
2	The proposal is for construction of bridge over Bhilangana river and muck disposal is proposed along the same as shown at C (IV). State Govt. may review the same.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-1 पैरा-C (iv) में ब्रिज, मैक डिस्पोजल एवं एप्रोच रोड को अलग-अलग दर्शा दिया गया है।
3	State Govt. may provide justification with authentication of DFO at para D in part-I.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-1 पैरा-डी० में संशोधन कर दिया गया है।
4	State Govt. may upload correct permanent Employment details at para E in part-I.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-1 पैरा-ई० को संशोधित कर अंकित कर दिया गया है।
5	Proceedings of DLC not found uploaded at para k in part-I. May upload original hard copy of FRA.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-1 पैरा-के० में डी०एल०सी० मूल प्रति अपलोड कर दी गयी है तथा चार प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।
6	In Land scheduled area of bridge, road and muck not shown separately.	ब्रिज, मैक डिस्पोजल एवं एप्रोच रोड को अलग-अलग अंकित कर दिया गया है तथा लैण्ड शेड्यूल चार प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

7	State Govt. may provide received Bar chart as the same seems incorrect.	बार चार्ट को संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है तथा चार प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
8	State Govt. may direct user agency to put name and designation of the person signing the undertaking.	संशोधित कर दिया गया है तथा प्रारूप-01 चार प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
9	Density mentioned in part-II is 0.3 but in NPV calculation sheet is 0.5 and rate charged for very dense forest.	एन0पी0वी0 को संशोधित कर हरियाली का घनत्व 0.3 अंकित कर दिया गया है तथा संशोधित एन0पी0वी0 का आंकलन चार प्रति संलग्न प्रेषित है।
10	State Govt. may provide comments as Less vulnerable mentioned for soil erosion in para 6 of part-II.	The Comment has been erroneously entered. As per geologist report the site is geologically suitable for the construction of the bridge.
11	State Govt. may upload plantation scheme at para 13 in part-II.	भाग-2 के पैरा-13 पर वृक्षारोपण योजना अपलोड कर दिया गया है।
12	district profile not filled correctly.	district profile को संशोधित कर भाग-2 के पैरा-14 पर अंकित कर दिया गया है।
13	Type of land not mentioned in DFO site inspection report.	DFO site inspection report में भूमि की श्रेणी "फलेण्डा क0सं0-5अ में 0.175 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.07 है0 सिविल एवं सोयम भूमि कुल 0.245 है0 "अंकित किया गया है।
14	State Govt. may provide original hard copy of FRA and VLC proceedings with date and DFO SIR.	Site inspection report की चार छायाप्रति तथा FRA and VLC proceedings with date चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
15	State Govt. may submit original hard copy of part IV & V.	भाग-4 एवं 5 उच्च स्तर से आपेक्षित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी0के0पात्रो)

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती

संख्या - / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके पत्रांक-184/12-1, दिनांक-24.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0के0पात्रो)

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 2 व घनसाली – कोटी – अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलगंगा नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.1 0.2 0.4 Km



Scale - 1: 5,000

78°40'0"E

ID	Longitude	Latitude
I	78°40' 3.814" E	30°26' 7.486" N
II	78°40' 3.683" E	30°26' 7.257" N
III	78°40' 5.673" E	30°26' 6.414" N
IV	78°40' 5.802" E	30°26' 6.616" N

ID	Longitude	Latitude
1	78°39' 57.717" E	30°26' 3.435" N
2	78°40' 1.237" E	30°26' 4.723" N
3	78°40' 3.242" E	30°26' 7.484" N
4	78°40' 6.972" E	30°26' 6.831" N
5	78°40' 10.585" E	30°26' 8.344" N
6	78°40' 14.223" E	30°26' 9.777" N
Muck Dumping		
A	78°40' 1.621" E	30°26' 5.197" N
B	78°40' 5.712" E	30°26' 3.090" N

Legend

- GPS Bridge
- Muck Dumping
- GPS Coordinates
- Proposed Bridge
- Proposed Road
- Existing Road

अस्थाई कार्य के निष्पत्ति पर, मोड़ निर्माण कार्य (2020-21)

वन क्षेत्राधिकारी
भिलगंगा रेंज, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

प्रारूप—

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड—भिलंगना में घनसाली—घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०— 02 (0-2) व घनसाली—कोटी—अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०—03 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धंगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई -3.00 कि०मी० + 76 मीटर स्पान सेतु)।

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
Tehri Garhwal	Tehri Forest Department	Balganga Raji	Falenda 5-A (Road)	190	7	0.133
-/-	-/-	-/-	-/-	60	7	0.042
(Proposed Steel Girder Bridge Span)						
कुल योग :-						0.175


अधिसूचनी अभियन्ता
 लम्बाई खण्ड लो० नि० वि०
 घनसाली टिहरी गढ़वाल
 ह०/-
 प्रयोक्ता एजेन्सी


वन क्षेत्राधिकारी
 भिलंगना रेंज, घनसाली
 टिहरी वन प्रभाग

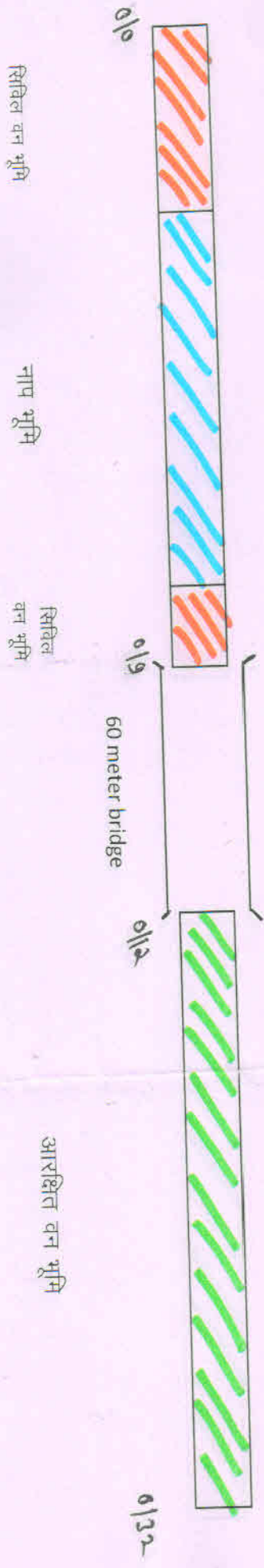
प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय कृषि अधिकारी
 प्रभागीय वन अधिकारी
 लम्बाई टिहरी

बारचार्ट

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-धुल्लू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी-अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 3.00 कि०मी० + 76.00 मी० स्थान सेतु)

शासनादेश संख्या-6667 / III(2) / 13-32 (प्र०आ०) / 2013 दिनांक- 22.11.2013 द्वारा को लम्बाई- 3.00 कि०मी० + 76.00 मी० स्थान सेतु हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई।



कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली

सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली

अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली

प्रारूप-01

Mr. R.K.Saxena son of **Mr. R.K.Saxena** is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding **Construction Work of Steel Girder Bridge with approach road connecting Km. 02 of Ghansali Ghuttu motor road and Km. 03 (6-8) of Ghansali-Koti-Akhodi Motor Road at Ardhangi** of the Ty. division P.W.D Ghansali (agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of **Mr. N. L. Verma** Executive Engineer, Typ Division, pwd Ghansali.


बिनाली अभियन्ता
बस्पाई खण्ड लो० नि० वि०
जनसाली टिहरी गढ़वाल

(Er. Naveen Lal Verma)
Executive Engineer
Ty. Div. PWD. Ghansali.

Signature
Name and seal of the competent
Authority

प्रारूप-50

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी-अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धंगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई-3.00 कि०मी० + 76.00 मी० स्पान सेतु)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन (संशोधित)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या:-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक:-05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणीV
- 2- हरियाली का घनत्व 0.3
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति है०-657000.00
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है०-.... 0.245 है०
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 1,60,965.00

प्रमाणित वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई दिल्ली

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

5-1: A Proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 घनसाली, टिहरी गढ़वाल for diversion under (FCA-1980) of 0.245 ha. of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुल्लू मोटर मार्ग के कि0मी0-2(0-2)व घनसाली-कोटी-अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on date:- 02-09-2017

5-2: On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forest measuring 0.245 ha.

5-3: The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

5-4: Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: - **No**

5-5: Whether any protected/archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required: -**None**

- (a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction. (✓) **No Violation.**
- (b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached. (x) **No violated has been done by User Agency.**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं क्षेत्र के विकास के लिये वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के तहत टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत फलेण्डा क0सं0-5अ में 0.175 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.070 है0 सिविल एवं सोयम भूमि कुल 0.245 है0 वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

Place:- New Tehri

Date:- 02-09-2017

(Dr. Koko Rose)
Divisional Forest Officer
Tehri Forest Division
New Tehri

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

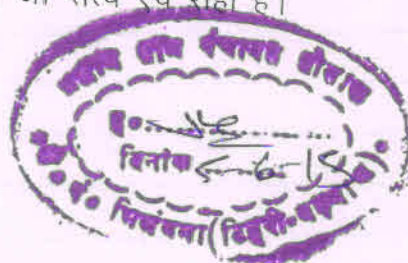
ग्राम पंचायत का नाम-रौंसाल
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली- घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2 (0-2) व घनसाली-कोटी- अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०-3 (6-8) को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.175 है० आरक्षित वन भूमि 0.070 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.245 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौंसाल द्वारा दिनांक- 05/06/2011 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौंसाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम सचिव

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक... 05/06/2015... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1)	भाधवा नरु, मेरवाल ST. थपडा नरु	मधवा नरु
2)	राजेन्द्र प्रसाद फलाल ST. 11	राजेन्द्र
3)	हुका सिंह पेवर ST भागाचर सिंह	हुका सिंह
4)	मदन सिंह पेवर ST. 11	मदन सिंह
5)	सिमला देवी पालू पुथरी सिंह	सिमला देवी
6)	शम सिंह ST बूल्ह	शम सिंह
7)	जवर सिंह ST. मोलू	जवर सिंह



विकासखण्ड-भिलंगना, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जयन्ती प्रसाद जोशी

प्रधान

निवास: ग्राम-रैंसाल, पो0-घनशाली

पट्टी-कैमर, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

मो०: 9536741838

अनायासि प्रमाण पत्र

दिनांक

पत्रांक.....

सेवा में

अधियासी अभियन्ता
अस्थाई स्टाफ, लोक निर्माण विभाग
वनसाली (मुख्यालय- घुमैवीधार)

निषेध:- घनसाली घुल्ल मोटर मार्ग व घनसाली कीटी-अखोडी मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु अर्द्धश्री में बिलगना नदी पर मोटर सेतु एवं बायपास मोटर मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में,

महोदय

निवेदन इस प्रकार से है कि उपरोक्त वर्णित मोटर मार्ग (बायपास रोड) एवं मोटर सेतु के निर्माण हेतु जो सर्वेक्षण कार्य आपके विभाग द्वारा किया गया है उसपर ग्रामसभा एवं ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति है, सर्वेक्षण पर पड़ने वाले नाप खेत को मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने के लिये समस्त काश्तकार सहर्ष तैयार हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया कार्रवायियों को उनकी भूमि अधिग्रहण हेतु नियमानुसार प्रतिकर / मुआवजा दिलवाने की भी कृपा कीजिएगा, अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र आपकी सेवा में प्रेषित है।

राजेन्द्र प्रसाद ४७, क्षीपडा-नड

मधवा-३ स. धपडा-३ मधवा नं-३

अमरेश्वरी देवी ५१, देव प्रसाद अमरेश्वरी

अवतार सिंह - अवतार सिंह

कृष्णसिंह ५५ नवी सिंह - जयराज सिंह

अभिज्ञान शांतिमयः श्री गणेशाय नमः

श्रीशर्मा देवा w/o घमनानन्द पटवाल - शिशुजी

जेमना देवी w/o हिरालाल पेरवाल - जेमना देवी

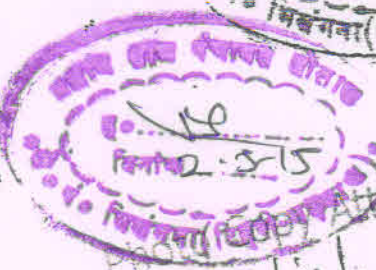
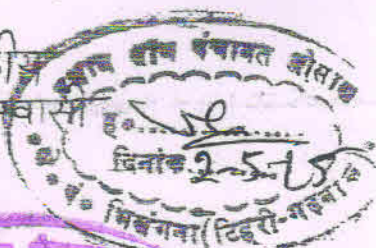
शाकाम्बरी देवी w/o दयाल सिंह - शाकाम्बरी देवी

अ.मि.

21735

प्रावही

पुनः नववर्षा



Copy Attested
hsh
Assistant Engineer
Ty. Division, P.W.D.
Ghansali (T.G.)

- सौजन सिंह S/o कुशाल सिंह - सोनखिंडे
- (11) सुशीला देवी W/o भागवत प्रसाद - सुशीला
- (12) रूपमा देवी W/o कमलेश्वर प्रसाद - राजहमी देवी
- (13) गीता देवी W/o राजेन्द्र सिंह - गीता देवी
- (14) बीजा देवी W/o मनोज सिंह - बीजा देवी
- (15) रेखा देवी W/o नथी सिंह - रेखा देवी
- (16) नीलम देवी W/o धनपाल - नीलम देवी

photo Copy Attested

Wyl
Assistant Engineer
T. Dams, B. & M.
Chandak, D. 1



प्रपत्र 23.1

दिनांक 03/06/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत फलेडा प्रस्ताव सं० 02 दि० 03/6/2015

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	रामचंद्र सिंह डा० लिवरी खर सिंह डा०	
2	मनमोहन डा० श्री जलम सिंह डा०	
3	अशोक सिंह डा० श्री बलराम सिंह डा०	
4	राजचंद्र सिंह डा० श्री लालचंद्र डा०	
5	मनमोहन सिंह डा० श्री अशोक सिंह	
6	कुमार सिंह डा० श्री अशोक सिंह	
7	श्रीलाल सिंह डा० श्री बलराम सिंह	
8	मनमोहन डा० श्री लालचंद्र सिंह	
9	सिमा देवी डा० विमल चन्द (प्रधान मंत्री मंडल)	
10	कुन्दन सिंह डा० इन्द्र सिंह	
11	प्रकाश सिंह डा० डा० डा०	
12	कुन्दन सिंह डा० डा० डा०	
13	गोपाल देवी डा० कुमारी सिंह (सुजात)	
14	कुमारी सिंह डा० डा० कल्याण सिंह	
15	कुमारी सिंह डा० डा० हर सिंह	
16	बनारस सिंह डा० डा० कल्याण सिंह	
17	भार सिंह डा० डा० कल्याण	
18	भार सिंह डा० डा० कल्याण	
19	सुरेश सिंह डा० डा० कल्याण	
20	रामभार सिंह डा० डा० भार सिंह	
21	पुन सिंह डा० डा० हर सिंह	
22	विमल सिंह डा० डा० चंदर सिंह	
23	सरस्वती देवी डा० डा० भार सिंह	
24	सुरेश देवी डा० डा० विमल सिंह	
25	सोकर सिंह डा० डा० लाल सिंह	
26	रामचंद्र सिंह डा० डा० जगत सिंह - कल्याण	
27	कुमारी देवी डा० डा० मान सिंह	
28	मनमोहन सिंह डा० डा० चंदर सिंह	
29	मनमोहन सिंह डा० डा० करण सिंह	
30	ज्ञान चंद सिंह डा० डा० अमर सिंह	
31	कुमारी सिंह डा० डा० गोविन्द सिंह (अध्यक्ष)	
32	नारायण सिंह डा० डा० मिश्र सिंह	